सत्यमेव जयते

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीप्ज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीप्ज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/परिपत्र/588/2016-17/

दिनांकः 03.3.2017

<u>परिपत्र संख्या 26 / 2017 / 04466</u>

विषयः यूनिट परिसरों के अंदर मरम्मतों / नवीयन / परिवर्तन / परिवर्धन / तोड़ - फोड़ (बड़े तथा छोटे कार्यों के लिए) आवेदन ।

उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए पूर्ववर्ती सभी अनुदेशों को अधिक्रांत करते हुए इसके पश्चात सभी बड़े तथा छोटे कार्यों के लिए इसके साथ परिशिष्ट । तथा ॥ के रूप में संलग्न फॉर्मेट में ही आवेदन प्रस्तुत किए जाएं ।

आवेदन संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को आवेदन संबोधित किए जाएं तथा विकास आयुक्त कार्यालय के भूमि तल पर स्थित स्वागत काउंटर पर प्रस्तुत किए जाएं ।

यह अध्यक्ष, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
संपदा (प्रबंधक),
सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण

अध्यक्ष Chairperson 28290856 सचिव Secretary 28294770 प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770
फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754 ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

दिशा - निर्देश

यूनिटधारी प्रत्येक आवेदन के साथ 2,000.00 रू. (दो हज़ार रूपए मात्र) के अप्रतिदेय निरीक्षण शुल्क के साथ सीप्ज़ - सेज़ के निर्धारित फॉर्मेट में ऐसे कार्य के लिए जो वे कराना चाहते हों, के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

1. सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि के रूप में एनएफसीडी इंजीनियर कार्य स्थल, जहां कार्य निष्पादित किया जाना हो, पर जाएंगे तथा कार्य के स्वरूप तथा क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे ।
2. सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि के रूप में एनएफसीडी इंजीनियर संपदा प्रबंधक कार्यालय में आवेदन के स्वीकृत किए जाने / अस्वीकृत किए जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।
3. संपदा प्रबंधक कार्यालय स्वीकृति के निबंधनों एवं शर्तों के साथ आवेदन के स्वीकृत / अस्वीकृत किए जाने की सूचना देगा ।
4. यूनिटधारी को अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए, जो कार्य की प्रकृति तथा कार्य की मात्रा पर निर्भर होगा, के लिए 2,00,000/- रू. (दो लाख रूपए मात्र) की प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा । प्रतिभूति जमा की इस राशि का यूनिटधारी को अग्रिम भुगतान करना होगा ।
5. सामान्यतः 7 कार्य दिवसों के अंदर अनुमति प्रदान की जाएगी । यदि 7 कार्य दिवसों के अंदर अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो यूनिटधारी इसके लिए अध्यक्ष / विकास आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं ।
6. यदि अनुमति अस्वीकृत की जाती है, तो अस्वीकृति पत्र के साथ प्रतिभूति जमा तत्काल वापस कर दी जाएगी ।
7. यूनिटधारी को प्रतिभूति जमा उनके कार्य समापन का पत्र प्राप्त होने तथा सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किए जाने के पश्चात ही लौटाया जाएगा । सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि यह अभिनिश्चित करेंगे कि कार्य स्थल से मलबा बाहर हटाया जाए तथा परिसर की साफ - सफाई कर दी गई हो तथा खोदी गई सतह / तोड़ - फोड़ की गई सतह को अपने मूल रूप में कर दिया गया हो तथा बिल्डिंग की संरचना को कोई क्षति न पहुंचाई गई हो । प्रतिभूति जमा उसी हालत में वापस की जाएगी जबकि सब कुछ सही पाया जाए तथा यूनिटधारी द्वारा अनुमति के सभी निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया हो ।

<u>यूनिटधारी द्वारा आवेदन</u>

(बड़ा कार्य)

सभी कार्य जिनमें सिविल कार्य, खुदाई, तोड़ - फोड़ / परिवर्तन / परिवर्धन / रूपांतर (मॉडिफिकेशन) शामिल हों, अन्य सभी कार्य जो छोटे कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हों तथा जिन कार्यों की लागत 5,00,000/- रू. (पांच लाख रूपए मात्र) से अधिक हो ।

आवेदन की तारीखः

यूनिटधारी का नामः

यूनिटधारी का अवस्थानः

कार्य की प्रकृति जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हैः

आशयित कार्य का आरेख / रेखाचित्र (अनिवार्य):- प्रस्तुत किया गया / प्रस्तुत नहीं किया गया

अनुमति प्राप्त करने की तारीख से कार्य के समापन की अनुमानित अवधिः

शुल्क ब्यौराः

निरीक्षण शुल्क (अप्रतिदेय) 2,000/- रू. (दो हज़ार रूपए मात्र) का अग्रिम भुगतान

प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) 2,00,000/- रू. (दो लाख रूपए मात्र) का अग्रिम भुगतान

वचन (अंडरटेकिंग):-

हम, अधोहस्ताक्षरी अनुमति प्रदान करते समय निम्नलिखित निबंधनों एवं सामान्य शर्तों तथा अन्य कोई विशेष / अतिरिक्त शर्तें जो निर्धारित की जाएंगी, उनका पालन करने के लिए राजी हैं:-

सामान्य शर्तें:-

1. यूनिटधारी को अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जिस दिन वे अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते हों, की लिखित रूप में सीप्ज़ - सेज़ के अभीक्षक को सूचना देनी होगी । इसी प्रकार उन्हें लिखित रूप में कार्य के समापन की सूचना भी देनी होगी ।
2. यूनिटधारी मरम्मत, रूपांतर (मॉडिफिकेशन), परिवर्तन, परिवर्धन अथवा तोड़ - फोड़ के रूप में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे ।
3. यूनिटधारी अपना कार्य इस प्रकार कराएंगे जिससे अन्य यूनिटधारियों का तथा सीप्ज़ - सेज़ का सामान्य कामकाज़ प्रभावित न हो ।
4. यूनिटधारी को जिस कार्य के लिए अनुमति दी गई हो, उस कार्य के पूरा होने पर, वे कार्य के दौरान खुदाई किए गए / तोड़ - फोड़ किए गए तथा प्रभावित क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में लाएंगे ।
5. यूनिटधारी को जिस कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई हो, उस कार्य को पूरा किए जाने के दौरान अभीक्षक द्वारा जिस निर्धारित स्थान पर मलबा आदि इकट्ठा किया गया हो, उस कार्य के पूरा होने के पश्चात वहां से हटाएंगे ।
6. कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए यूनिटधारी आवश्यक सभी संरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन करेंगे ।
7. यूनिटधारी सीप्ज़ - सेज़ के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में नलसाजी तथा शौचालय रूपांतर (मॉडिफिकेशन) कार्यों के लिए वॉटर टाइटनेस परीक्षण कराएंगे । यूनिटधारी जब तक कि सीप्ज़ - सेज़ के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में वॉटर टाइटनेस की स्वीकृति के संबंध में क्लीयरेन्स न दिया गया हो, तब तक वे कार्य को कवरअप नहीं करेंगे ।
8. कार्यालय समय के दौरान ही कार्य करवाया जाएगा ।
9. यूनिटधारी को अपने कार्य के निष्पादन के दौरान अपने परिसर तथा आस पास का क्षेत्र साफ - सुथरा रखना होगा ।
10. यदि उपर्युक्त शर्तों का उल्लघंन पाया जाता है, तो दंडात्मक कार्रवाई (आर्थिक तथा कानूनी) के अतिरिक्त यूनिटधारी की प्रतिभूति जमा भी जब्त कर ली जाएगी । यदि यह देखा जाता है कि यूनिटधारी ने मरम्मत / रूपांतर (मॉडिफिकेशन) / परिवर्तन करवाते समय बिल्डिंग के किसी संरचनात्मक हिस्से को क्षति पहुंचाई है, तो यूनिटधारी को अपनी जोखिम तथा लागत पर उसे उसके मूल स्वरूप में लाना होगा तथा इसके अतिरिक्त यूनिटधारी की प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी तथा उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई (आर्थिक तथा कानूनी) की जाएगी ।

आवदेक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट ॥

दिशा - निर्देश

यूनिटधारी प्रत्येक आवेदन के साथ 2,000.00 रू. (दो हज़ार रूपए मात्र) के अप्रतिदेय निरीक्षण शुल्क के साथ सीप्ज़ - सेज़ के निर्धारित फॉर्मेट में ऐसे कार्य के लिए जो वे कराना चाहते हों, के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

1. सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि के रूप में एनएफसीडी इंजीनियर कार्य स्थल जहां कार्य निष्पादित किया जाना हो, पर जाएंगे तथा कार्य के स्वरूप तथा क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे ।
2. सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि के रूप में एनएफसीडी इंजीनियर संपदा प्रबंधक कार्यालय में आवेदन के स्वीकृत किए जाने / अस्वीकृत किए जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।
3. संपदा प्रबंधक कार्यालय स्वीकृति के निबंधनों एवं शर्तों के साथ आवेदन के स्वीकृत / अस्वीकृत किए जाने की सूचना देगा ।
4. यूनिटधारी को अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए जो कार्य की प्रकृति तथा कार्य की मात्रा पर निर्भर होगा, के लिए 25,000/- रू. (पच्चीस हज़ार रूपए मात्र) की प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा । प्रतिभूति जमा की इस राशि का यूनिटधारी को अग्रिम भुगतान करना होगा ।
5. सामान्यतः 7 कार्य दिवसों के अंदर अनुमति प्रदान की जाएगी । यदि 7 कार्य दिवसों के अंदर अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो यूनिटधारी इसके लिए अध्यक्ष / विकास आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं ।
6. यदि अनुमति अस्वीकृत की जाती है, तो अस्वीकृति पत्र के साथ प्रतिभूति जमा तत्काल वापस कर दी जाएगी ।
7. यूनिटधारी को प्रतिभूति जमा उनके कार्य समापन का पत्र प्राप्त होने तथा सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किए जाने के पश्चात ही लौटाया जाएगा । सीप्ज़ - सेज़ के प्रतिनिधि यह अभिनिश्चित करेंगे की कार्य स्थल से मलबा बाहर हटाया जाए तथा परिसर की साफ - सफाई कर दी गई हों तथा खोदी गई सतह / तोड़ - फोड़ की गई सतह को अपने मूल रूप में कर दिया गया हो तथा बिल्डिंग की संरचना को कोई क्षति न पहुंचाई गई हो । प्रतिभूति जमा उसी हालत में वापस की जाएगी जबकि सब कुछ सही पाया जाए तथा यूनिटधारी द्वारा अनुमति के सभी निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाए ।

यूनिटधारी द्वारा आवेदन

(छोटे कार्य)

सभी कार्य जिनमें सिविल कार्य, खुदाई, तोड़ - फोड़ / परिवर्तन / परिवर्धन / रूपांतर (मॉडिफिकेशन) शामिल हो अन्य सभी कार्य जो छोटे कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हों तथा जिनका कार्यों की लागत 5,00,000/- रू. (पांच लाख रूपए मात्र) से अधिक हो ।

आवेदन की तारीखः

यूनिटधारी का नामः

यूनिटधारी का अवस्थानः

कार्य की प्रकृति जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हैः

आशयित कार्य का आरेख / रेखाचित्र (अनिवार्य): - प्रस्तुत किया गया / प्रस्तुत नहीं किया गया

अनुमति प्राप्त करने की तारीख से कार्य के समापन की अनुमानित अवधिः

शुल्क ब्यौराः

निरीक्षण शुल्क (अप्रतिदेय) 2,000/- रू. (दो हज़ार रूपए मात्र) का अग्रिम भुगतान

प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) 25,000/- रू. (पच्चीस हज़ार रूपए मात्र) का अग्रिम भुगतान

<u>वचन (अंडरटेकिंग):-</u>

हम, अधोहस्ताक्षरी अनुमति प्रदान करते समय निम्नलिखित निबंधनों एवं सामान्य शर्तों तथा अन्य कोई विशेष / अतिरिक्त शर्तें जो निर्धारित की जाएंगी, उनका पालन करने के लिए राजी हैः-

<u>सामान्य शर्तेः-</u>

1. यूनिटधारी को अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जिस दिन वे अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते हों की लिखित रूप में सीप्ज़ - सेज़ के अभीक्षक को सूचना देनी होगी । इसी प्रकार उन्हें लिखित रूप में कार्य के समापन की सूचना भी देनी होगी ।
2. यूनिटधारी मरम्मत, रूपांतर (मॉडिफिकेशन), परिवर्तन, परिवर्धन अथवा तोड़ - फोड़ के रूप में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे ।
3. यूनिटधारी अपना कार्य इस प्रकार कराएंगे जिससे अन्य यूनिटधारियों का तथा सीप्ज़ - सेज़ का सामान्य कामकाज़ प्रभावित न हो ।
4. यूनिटधारी को जिस कार्य के लिए अनुमति दी गई हो, उस कार्य के पूरा होने पर, वे कार्य के दौरान खुदाई किए गए / तोड़ - फोड़ किए गए तथा प्रभावित क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में लाएंगे ।
5. यूनिटधारी को जिस कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई हो, उस कार्य को पूरा किए जाने के दौरान अभीक्षक द्वारा जिस निर्धारित स्थान पर मलबा आदि इकट्ठा किया गया हो, उस कार्य के पूरा होने के पश्चात वहां से हटाएंगे ।
6. कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए यूनिटधारी आवश्यक सभी संरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन करेंगे ।
7. यूनिटधारी सीप्ज़ - सेज़ के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में नलसाजी तथा शौचालय रूपांतर (मॉडिफिकेशन) कार्यों के लिए वॉटर टाइटनेस परीक्षण कराएंगे । यूनिटधारी जब तक की सीप्ज़ - सेज़ के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में वॉटर टाइटनेस के स्वीकृति के संबंध में क्लीयरेन्स नहीं दिया जाता है तब तक वे कार्य को कवरअप नहीं करेंगे ।
8. कार्यालय समय के दौरान ही कार्य करवाया जाएगा ।
9. यूनिटधारी को अपने कार्य के निष्पादन के दौरान अपने परिसर तथा आस पास का क्षेत्र साफ - सुथरा रखना होगा ।
10. यदि उपर्युक्त शर्तों का उल्लघंन पाया जाता है, तो दंडात्मक कार्रवाई (आर्थिक तथा कानूनी) के अतिरिक्त यूनिटधारी की प्रतिभूति जमा भी जब्त कर ली जाएगी । यदि यह देखा जाता है कि यूनिटधारी ने मरम्मत / रूपांतर (मॉडिफिकेशन) / परिवर्तन करवाते समय बिल्डिंग के किसी संरचनात्मक हिस्से को क्षति पहुंचाई है, तो यूनिटधारी को अपनी जोखिम तथा लागत पर उसे उसके मूल स्वरूप में लाना होगा तथा इसके अतिरिक्त यूनिटधारी की प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी तथा उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई (आर्थिक तथा कानूनी) की जाएगी ।

आवदेक के हस्ताक्षर